जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 29वीं बैठक जो दिनांक 24.06.2019 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1– श्री सेंथिल पांडियन सी0
2– श्री बी0एस0 तिवारी — निदेशक
3– श्री सुधांशु द्विवेदी — निदेशक
4– श्री सुवीर चक्रवर्ती — निदेशक
5– श्री संजय तिवारी — निदेशक

सहायतार्थ

श्री प्रदीप सोनी — कम्पनी सचिव

श्री सेंथिल पांडियन सी0 की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

मद संख्या - 29.1

निगम के निदेशक मण्डल की 28वीं बैठक जो दिनाँक 26.03.2019 को सम्पन्न हुई, की कार्यवाही की पुष्टि के सम्बन्ध में।

कम्पनी सचिव द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि दिनांक 26.03.2019 को सम्पन्न हुई निदेशक मण्डल की 28वीं बैठक के कार्यवृत्त जिस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा 01.04.2019 को हस्ताक्षर किये गए, का पुष्टिकरण किया जाना अपेक्षित है।

निदेशक मण्डल द्वारा निम्न प्रस्ताव पारित किये गये :–

"निदेशक मण्डल ने 28वीं बैठक जो दिनांक 26.03.2019 को सम्पन्न हुई, के प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।"

मद संख्या–29.2

निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम द्वारा पारित प्रस्ताव के पुष्टिकरण के सम्बन्ध में।

कम्पनी सचिव ने निदेशक मण्डल को अवगत कराया कि परिचालन माध्यम से निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा निम्न प्रस्ताव पारित कराये गये थे:–

Chairman's Initial

Scanned by CamScanner

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 2X660 मे०वा० जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना की पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु निर्गत पत्र के अनुपालन में कारपोरेट सोशल रिस्पान्सबिलिटी (सी०एस०आर०)/कारपोरेट इन्वारमेंट रिस्पान्सबिलिटी (सी०ई०आर०) मद में बजट प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 07.03.2019 को पारित प्रस्ताव का उद्धरण।

<u>निदेशक मण्डल के सदस्यो द्वारा लिया गया निर्णय</u>

"क. निदेशक मण्डल द्वारा उ०नि०लि० की 2X660 मे०वा० जवाहरपुर तापीय परियोजना के सी०एस०आर०/सी०ई०आर० मद के अन्तर्गत निम्न बजटीय प्रावधान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया :–

कम सं०	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (रू० करोड़ में)	पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त में अंकित सी०एस०आर०/सी०ई०आर० के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो की कुल लागत	निदेशक मण्डल से सी०एस०आर०/सी०ई०आर० के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु बजटीय प्रावधान की धनराशि
1	2 X 660 मे०वा० जवाहरपुर तापीय विस्तार परियोजना	10566.27	33.00 करोड	33.00 करोड़ *

* इस बजटीय प्रावधान में पूर्व में Physical Contingency के मद के विरूद्ध अनुमोदित रू0 4.00 करोड की धनराशि का समायोजन किया जायेगा।

ख. पुनः उपरोक्त परियोजना के सी०एस०आर०/सी०ई०आर० मद में स्वीकृत बजट को परियोजना निर्माण अवधि के पाँच वर्षों के प्रत्येक वर्ष मे उक्त सी०एस०आर०/सी०ई०आर० बजट का 1/5 भाग समान रूप से सी०एस०आर० कार्यों में व्यय किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

यदि परियोजना निर्माण के प्रथम वर्षों में उक्त भाग का व्यय नहीं हो सका है तो उस बजट का प्रावधान आगामी वर्षों में किया जाये।

Chairman's Initial

Scanned by CamScanner

ग. सी0एस0आर0/सी0ई0आर0 मद में बजटीय प्राविधान किये जाने के फलस्वरूप परियोजना की लागत में वृद्धि होने की स्थिति में इस प्राविधान को परियोजना निर्माण पूर्ण होने के पश्चात वास्तविक व्यय समय लागत में सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण परियोजना लागत का शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही कालान्तर में की जाएगी।"

- **2x660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना के रेल नेटवर्क के संरेखण का अलीगढ़–कानपुर (एन0एच0–91) बाईपास सड़क से बाधित होने के कारण, संशोधित संरेखण के अनुसार कार्य कराये जाने एवं रेल नेटवर्क की लागत का निदेशक मंडल से अनुमोदन के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 23.04.2019 को पारित प्रस्ताव का उद्धरण।**

निदेशक मण्डल के सदस्यो द्वारा लिया गया निर्णय

"निदेशक मण्डल द्वारा परियोजना से एटा स्टेशन तक प्रस्तावित रेल नेटवर्क संरेखण के चैनेज कि0मी0 4/385 कि0मी0 पर अलीगढ़–कानपुर (एन0एच0–91) बाईपास सड़क का एन0एच0ए0आई0 द्वारा निर्माण किये जाने के कारण परियोजना के रेल नेटवर्क के संशोधित संरेखण हेतु प्रस्तावित विकल्प "Rerouting of JTPP Rail Track alignment and crossing of NH-91 and MDR road at some other suitable locations" (अतिरिक्त लागत रू0 31.54 करोड़) के अनुसार कार्य कराये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।"

पुनः परियोजना के डी0पी0आर0 (Appendix-II) में रेलवे साइडिंग के कार्य हेतु प्राविधानित कुल रू0 260.00 करोड़ को पुनरीक्षित करते हुये मेसर्स राइट्स द्वारा रेल नेटवर्क सम्बन्धी कार्यों हेतु तैयार किये गये डी0पी0आर0 के अनुसार प्रावधानित कुल रू0 767.69 करोड़ + 31.54 करोड़ = 799.23 करोड़ किये जाने हेतु कालान्तर में परियोजना के पुनरीक्षित लागत के समग्रता में अनुमोदन के समय इस लागत वृद्धि को समग्र पुनरीक्षित लागत मे सम्मिलित किया जायेगा।

<u>मद संख्या - 29.3</u>

निगम के निदेशको द्वारा प्रस्तुत MBP-1 एवं DIR-8 को संज्ञान मे लेने कै सम्बन्ध मे।

कम्पनी सचिव द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि निगम के निदेशकों द्वारा MBP-1 एवं DIR-8 फार्म प्रस्तुत किये गये है जो निदेशक मण्डल के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

निदेशक मण्डल ने निगम के निदेशकों द्वारा प्रस्तुत MBP-1 एवं DIR-8 फार्म संज्ञान में लिया।

Chairman's Initial

Scanned by CamScanner

मद संख्या - 29.4

जवाहरपुर परियोजना पर कार्यरत कार्मिकों को निर्माण भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बंध में।

निदेशक कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माणाधीन परियोजना के कार्मिकों को निर्माण भत्ता अनुमन्य किये जाने पर विचार किये जाने हेतु गठित समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में निदेशक (वित्त) द्वारा जवाहरपुर तापीय परियोजना, ग्रीनफील्ड परियोजना होने एवं परियोजना स्थल की परिस्थितियों के दृष्टिगत इस शर्त के साथ जवाहरपुर तापीय परियोजना पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्माण भत्ते के रूप में प्रतिमाह मूल वेतन का 5 प्रतिशत (न्यूनतम रू0 3000/–प्रतिमाह) अनुमन्य किये जाने की संस्तुति की है कि यह योजना परियोजना की प्रथम इकाई के वाणिज्यिक भार पर आने तक ही लागू रहेगी तथा उसके उपरांत उत्पादन निगम लि0 की अन्य परियोजनाओं की भाँति उत्पादन प्रोत्साहन भत्ता तत्समय लागू व्यवस्था प्रभावी कर दी जायेगी।

निदेशक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रस्ताव पारित किया गया :–

"निदेशक मण्डल द्वारा जवाहरपुर तापीय परियोजना पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्माण भत्ते के रूप में प्रतिमाह मूल वेतन का 5 प्रतिशत (न्यूनतम रू0 3000/–प्रतिमाह) इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि उक्त भत्ता परियोजना की प्रथम इकाई के वाणिज्यिक भार पर आने तक ही लागू रहेगी तथा उसके उपरांत उत्पादन निगम लि0 की अन्य परियोजनाओं की भाँति उत्पादन प्रोत्साहन भत्ता तत्समय लागू व्यवस्था प्रभावी कर दी जायेगी।"

मद संख्या - 29.5

2x660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना, जिला–एटा (यूपी) हेतु कोयला परिवहन के लिए चैनेज किमी0 19/800 से 24/424 (परियोजना क्षेत्र में) तक रेलवे साइडिंग निर्माण कार्य के अन्तर्गत अर्थवर्क इन फारमेसन, लघु एवं दीर्घ पुल का निर्माण तथा अन्य जानपदीय कार्य – पैकेज–3 को निविदा के प्रथम न्यूनतम निविदाकार मेसर्स कैसर कन्सट्रक्शन्स इंजीनियर्स एण्ड कान्ट्रैक्टर्स से कराये जाने का निदेशक मंडल के संज्ञानार्थ व कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

निदेशक (परियोजना एवं वाणिज्य) द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स राइट्स द्वारा पैकेज – 03 (चैनेज किमी0 19/800 से 24/424 (परियोजना क्षेत्र में) तक) के लिये कुल लागत रू0 38,16,53,560.00 (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) की खुली ई–निविदा प्रशासनिक अनुमोदनोनुसार आमंत्रित की गयी थी। उक्त निविदा आमंत्रण के पश्चात् सम्पूर्ण प्रकरण सक्षम कारपोरेट निविदा समिति–द्वितीय, उ0नि0लि0 को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। कारपोरेट निविदा समिति –द्वितीय द्वारा दि0 08.05.2019 को संपन्न बैठक में समिति द्वारा 2X660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना हेतु कोयला परिवहन के लिये रेल नेटवर्क के निर्माण के कार्य को मैसर्स केसर कन्स्ट्रक्सन्स, एटा उ0प्र0 कराये जाने

Chairman's Initial

Scanned by CamScanner

हेतु रू0 36,93,80,290.00 (रू0 छत्तीस करोड तिरान्नवे लाख अस्सी हजार दो सौ नब्बे मात्र) (वस्तु एवं सेवाकर अतिरिक्त) का अनुमोदन प्रस्तुत नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान किया गया जिसके अनुपालन तथा निविदाकार के ऑफर की वैधता दिनांक 29.05.2019 को समाप्त होने के आलोक में न्यूनतम निविदाकार के पक्ष में उक्त कार्य का कार्यादेश उनिलि की जानपद एवं नव परियोजना इकाई के पत्रांक 524/UNL/CE (C-NP)/JWPH/LOA/Rail Network-Package-3 दिनांक 27.05.2019 द्वारा निर्गत किया गया है। कारपोरेट निविदा समिति–द्वितीय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव निदेशक मण्डल के संज्ञानार्थ व कार्योत्तर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :–

निदेशक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रस्ताव पारित किया गया :–

"निदेशक मण्डल द्वारा 2X660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना, जिला–एटा (यूपी) हेतु कोयला परिवहन के लिए चैनेज किमी0 19/800 से 24/424 (परियोजना क्षेत्र में) तक रेलवे साइडिंग निर्माण कार्य के अन्तर्गत अर्थवर्क इन फारमेसन, लघु एवं दीर्घ पुल का निर्माण तथा अन्य जानपदीय कार्य – पैकेज–3 के कार्य हेतु कारपोरेट निविदा समिति–द्वितीय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में ई–निविदा के न्यूनतम निविदाकार मेसर्स केसर कंस्ट्रकसन्स, एटा उ0प्र0 के पक्ष में रू0 36,93,80,290.00 (रू0 छत्तीस करोड़ तिरान्नवे लाख अस्सी हजार दो सौ नब्बे मात्र) (वस्तु एवं सेवाकर अतिरिक्त) पर कार्यादेशित किये जाने का संज्ञान लेते हुये कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।"

<u>मद संख्या - 29.6</u>

वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 हेतु आन्तरिक सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति हेतु सम्प्रेक्षा समिति द्वारा संस्तुति निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।

निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 हेतु आन्तरिक सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति एवं उनकी सम्प्रेक्षा फीस का अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्न प्रस्ताव पारित किया :–

"निदेशक मण्डल द्वारा मैसर्स वी0 के0 पाल एंड कम्पनी, चार्टड अकाउटेंट, लखनऊ को सम्प्रेक्षा शुल्क रू0 30,000.00 प्रति वर्ष (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) पर एवं प्रस्तुत प्रस्ताव के प्रस्तर–2 में इंगित Scope of Work पर सम्प्रेक्षा समिति द्वारा अनुमोदित एवं संस्तुति के अनुसार नियुक्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु कार्योत्तर अनुमोदन एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है।"

<u>मद संख्या–29.7</u>

निगम की अंश आंबटन समिति की बैठक जो दिनांक 01.10.2018, 31.01.2019 व 29.03.2019 को सम्पन्न हुई, के कार्यवृत्त की पुष्टि।

Chairman's Initial

Scanned by CamScanner

कम्पनी सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अंश आंवटन समिति की बैठक जो दिनॉक 01.10.2018, 31.01.2019 व 29.03.2019 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त संलग्न है।

निदेशक मण्डल द्वारा निम्न प्रस्ताव पारित किये गये :-

"निदेशक मण्डल द्वारा अंश आंबटन समिति की बैठक जो दिनॉक 01.10.2018, 31.01.2019 व 29.03.2019 को सम्पन्न हुई, के प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया।"

मद संख्या–29.8

निगम की सम्प्रेक्षा समिति की बैठक जो दिनांक 14.01.2019 एवं 24.06.2019 को सम्पन्न हुई, के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कम्पनी सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अंश सम्प्रेक्षा समिति की बैठक जो दिनॉक 14.01.2019 एवं 24.06.2019 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त संलग्न है।

निदेशक मण्डल द्वारा निम्न प्रस्ताव पारित किये गये :-

"निदेशक मण्डल द्वारा सम्प्रेक्षा समिति की बैठक जो दिनॉक 14.01.2019 एवं 24.06.2019 को सम्पन्न हुई, के प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया।"

मद संख्या–29.9

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 हेतु मे० जैन कपूर एण्ड कम्पनी को वार्षिक रिटेनरशिप हेतु निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।

निदेशक (वित्त) द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के आयकर सम्बन्धित समस्त कार्य जैसे कि आयकर विवरणी दाखिल करना, सी0आई0टी0 के समक्ष नोटिस हेतु जवाब दाखिल करना, आई0टी0ए0टी0 के समक्ष निगम का पक्ष रखना, रिफण्ड हेतु प्रयास करना इत्यादि मेसर्स जैन कपूर एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स, लखनऊ द्वारा ससमय एवं कुशलता पूर्वक सम्पादित किये जा रहे है। चूँकि जवाहरपुर उत्पादन निगम लि0, उ0निलि0 की सहायक कम्पनी है एवं मेसर्स जैन कपूर एण्ड कम्पनी एक पेशेवर परामर्शदाता है अतः उपरोक्त परिप्रेक्षय में मेसर्स जैन कपूर एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स, लखनऊ को जवाहरपुर उत्पादन निगम लि0 के आयकर सम्बन्धी समस्त मामलो हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिए उनके द्वारा प्रस्तावित रिटेनरशिप फीस पर नियुक्ति किये जाने हेतु निदेशक मण्डल का अनुमोदन वांछित है।

निदेशक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रस्ताव पारित किया गया :-

Chairman's Initial

Scanned by CamScanner

"निदेशक मण्डल द्वारा मेसर्स जैन कपूर एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिए उनके द्वारा प्रस्तावित निम्न रिटेनरशिप फीस पर नियुक्ति किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है :-

S.No.	Proposed Work	(Rs.)
1.	Monthly Retainership fees	7500.00
2.	Compensation for professional loss for work in out of city for : -Partner -Staff	 2500.00 1500.00
3.	Per case of order of Corporate Office/ unit	5000.00

मद संख्या–29.10

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के सेवानिवृत्त कार्मिकों को वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से अनुबन्ध के आधार पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ने कार्यालय ज्ञाप सं0–319–का0वि0नी0एवंवे0प्र0–29/ पाकालि/2019–6–काविनि/2019 दिनांक 03.04.2019 (संलग्नक–01) द्वारा कारपोरेशन के कार्यहित में अति–आवश्यक एवं अपरिहार्य होने के दृष्टिगत पा0का0लि0 की सेवा से सेवानिवृत्त कार्य कुशल, अनुभवी एवं कार्य में दक्ष कार्मिकों के अनुभव एवं क्षमता का उपयोग किये जाने हेतु निर्धारित समयावधि हेतु अनुबन्ध के आधार पर नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में पा0का0लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 06.03.2019 को सम्पन्न 145वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कतिपय प्राविधान किये गये हैं। निगमीय एकरूपता के दृष्टिगत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा किये गये उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के द्वारा किए गए प्राविधानों को आंशिक संशोधनों सहित जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 में अंगीकृत किये जाने हेतु निदेशक मण्डल का अनुमोदन वांछित है।

निदेशक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रस्ताव पारित किया गया :–

"निगमीय एकरूपता के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के सेवानिवृत्त कार्मिकों को वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से अनुबन्ध के आधार पर रखे जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0 319–का0वि0नी0एवंवे0प्र0–29/पाकालि/2019–6–काविनि/ 2019 दिनांक 03.04.2019 को जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया।"

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुई।

बैठक सांय 5:00 बजे प्रारम्भ होकर सांय 6:00 बजे समाप्त हुई।

दिनांक : 24-06-2019

(सेंथिल पांडियन सी0)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

Chairman's Initial

Scanned by CamScanner